

राजस्थान-सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान-जयपुर।

क्रमांक: प.3()/निचिस्वा/विधि/14/517

दिनांक:- 17.12.14

संयुक्त निदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
जोन-अजमेर/जोधपुर/बीकानेर/उदयपुर।

विषय:-माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में लम्बित प्रकरणों में अविलम्ब जवाबदावा प्रस्तुत करवाकर पालना रिपोर्ट भिजवाने बाबत।

संदर्भ:-निदेशालय के पत्रांक प.3()/निचिस्वा/विधि/14/502 दिनांक 17.12.2014 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा लम्बित प्रकरणों की सूची संलग्न कर आपको विभाग के विरुद्ध लम्बित आपके अधीनस्थ कार्यालयों से संबंधित प्रकरणों में नियमानुसार पालना/संबंधित समन्वयक से जवाबदावा प्रस्तुत कराने की कार्यवाही कर की गई कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट 15 दिवस में भिजवाने हेतु लिखा गया था परन्तु वांछित सूचना आज दिनांक तक नहीं भिजवायी गयी है। इस संबंध में पुनः प्रमुख शासन सचिव महोदय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार प्रकरणों में नियमानुसार पालना/जवाबदावा अविलम्ब प्रस्तुत कराते हुये की गई कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट पत्र प्राप्ति के तीन दिवस में भिजवाने अन्यथा देरी के लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर
दिनांक:-

क्रमांक: प.3()/निचिस्वा/विधि/14/

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2/3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. अति. निदेशक (प्रशासन/राजपत्रित), मुख्यालय।
4. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को वास्ते विभाग की साईड पर अपलोड एवं ई-मेल करने बाबत।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर